प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो गैंगेस्टर अभियुक्तों को हुई 02 वर्ष कारावास व पाँच-पाँच हजार रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 16.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में दिनांक 15.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर दो-दो वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना थानगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 72/02 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1.कुंवारे लोनिया पुत्र बाबू निवासी ग्राम केशनपुरवा मजरा रन्डाकोडर थाना थानगांव सीतापुर 2.जगमोहन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम रन्डाकोडर थाना थानगांव सीतापुर में थाना थानगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 15.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय ASJ-05 सीतापुर द्वारा 02 अभियुक्तों 1.कुंवारे लोनिया 2.जगमोहन उपरोक्त, प्रत्येक को अन्तर्गत धारा 3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 02-02 वर्ष कारावास व पाँच-पाँच हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....